भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 685

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता</u>

685. श्री सेल्वाराज वी.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य वितरण कम्पनियों के साथ बोली लगाने वाली एजेंसियों द्वारा खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर करने में देरी के कारण कम से कम चालीस गीगावाट (जीडब्ल्यू) क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का मामला अटका हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्युत पारेषण क्षमता को बेहतर बनाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) अर्थात् सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) और एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) द्वारा मध्यस्थ खरीदार के रूप में अप्रैल 2023 से जारी निविदाओं के संबंध में, दिनांक 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 42,626 मेगावाट अक्षय विद्युत क्षमता है, जिसके लिए आरईआईए द्वारा लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए हैं, परन्तु अंतिम खरीदारों के साथ विद्युत बिक्री करार (पीएसए) पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA), अग्रिम रूप से ट्रांसमिशन प्लान तैयार करती है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा घोषित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) संभाव्यता पर आधारित होती है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को ट्रांसमिशन सिस्टम की स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सके। ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के हिसाब से ट्रांसमिशन सिस्टम को चरणों में लागू किया जाता है।

वर्ष 2032 तक ट्रांसमिशन सिस्टम की प्लानिंग के लिए लगभग 47.2 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को ध्यान में रखा गया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को

लगाने से पीक शिफ्टिंग सक्षम होती है, नेटवर्क कंजेशन कम होता है और ट्रांसमिशन एसेट्स का उपयोग बेहतर होता है, जिससे पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करता है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 के अनुसार, सोलर और नॉन-सोलर घंटों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इससे ट्रांसमिशन सिस्टम के कुशल उपयोग में और सहायता होगी। यह अतिरिक्त ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के बगैर ग्रिड को सह-स्थित BESS के साथ अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के एकत्रीकरण को भी संभव बनाएगा।

*****